UPHR010026082013

न्यायालयः विशेष न्यायाधीश, SC/ST (P.A.) Act, हरदोई।

उपस्थित– **ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी**, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. Code– UP1574

विशेष परीक्षण संख्या– 196/2015

राज्य .... अभियोगी

प्रति

1– शौकत पुत्र सुबेदार

2– अजमत पुत्र सुबेदार

3– आशिफ पुत्र सादुल्ला

सर्व निवासीगण मक्काखेड़ा, थाना कछौना, जिला हरदोई

....अभियुक्तगण

धारा– 323/34, 504 IPC,
एवं धारा 3(1)(10) SC/ST (P.A.) Act,
थाना–कछौना, जिला–हरदोई
अधिवक्ता अभियोजन पक्ष–श्री अमित मिश्रा,
(विशेष लोक अभियोजक)
अधिवक्ता प्रतिरक्षा पक्ष– सैयद आकिल हुसैन जैदी एड०

निर्णय

थाना कछौना, जनपद हरदोई की पुलिस द्वारा, अभियुक्तगण शौकत, अजमत व आशिफ के विरुद्ध, मुकदमा अपराध संख्या–696/2014, अंतर्गत धारा–323, 504 भा०दं०सं० एवं धारा 3(1)(10) SC/ST (P.A.) Act विचारणार्थ न्यायालय में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रथम सूचनादाता प्रार्थी महेश पुत्र रधनू निवासी मक्काखेड़ा दीननगर, थाना कछौना, जिला हरदोई में इस आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत की गयी

Digitally signed by GYANENDRA TRIPATHI
Date: 2026.08.29 12:58:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कि– *"अभियोगी अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति हूं। जबकि विपक्षीगण सर्वण जाति के सरकश अपराधी है। अभियोगी का एक खेत गांव के पूरब विपक्षीगण के मकानों के पास है। विपक्षीगण ने अभियोगी के खेत मे अपना घूरा आदि डाल दिया था तथा फसल बोते समय हटा लेने का वायदा भी किया था। दिनांक 25.11.2013 को समय तीन बजे शाम अभियोगी ने विपक्षीगण को अपना घूरा आदि जो खेत से हटाने को कहा तो सभी विपक्षीगण ने अभियोगी को जाति सूचक गालियां देकर कि साले पसेटा खेत से घूरा नहीं हटायेंगे तथा खेत को जोतने बोने नहीं देगे। विरोध करने व मना करने पर अभियोगी को गंदी–गंदी जाति सूचक गालियां देकर लात घूसों से मारने लगे। अभियोगी के शोर पर अभियोगी की पत्नी मालती देवी जब बचाने आई तो उसको भी मारापीटा। हम दोनों के शोर पर संजय व रामसेवक आदि लोगों ने मारपीट करते व जाति सूचक गालियां देते देखा ललकारा व बचाया। "*

वादी की उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर, थाना कछौना में प्राथमिकी, अंतर्गत धारा 323, 504 भा०दं०सं० व धारा 3(1)(10) SC/ST (P.A.) Act, अभियुक्तगण शौकत, अजमत व आशिफ के विरूद्ध पंजीकृत की गयी,

विवेचना सम्बन्धी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात विवेचक द्वारा अभियुक्तगण शौकत, अजमत व आशिफ के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 323, 504 भा०दं०सं० व धारा 3(1)(10) SC/ST (P.A.) Act, प्रेषित किया गया।

आरोप पत्र पर विद्वान सत्र न्यायाधीश, हरदोई, द्वारा आदेश, दिनांकित 18–05–2015 के माध्यम से प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण शौकत, अजमत व आशिफ की नियमानुसार उपस्थिति एवं धारा 207 दं०प्र०सं० के अनुपालन के उपरांत, प्रकरण अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय होने के दृष्टिगत, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, तृतीय, हरदोई द्वारा, आदेश, दिनांकित 30–04–2015 के माध्यम से, सत्र उपार्पित किया गया, जहां प्रकरण सत्र परीक्षण संख्या– 196/2015 के रूप में पंजीकृत हुआ, तदोपरान्त पत्रावली अन्तरित होकर विचारणार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुयी।

आदेश, दिनांकित 06–07–2015 के माध्यम से अभियुक्तगण शौकत, अजमत व आशिफ के विरुद्ध अंतर्गत धारा 323/34, 504 भा०दं०सं० एवं धारा 3(1)(10) SC/ST (P.A.) Act के अन्तर्गत, आरोप विरचित किया गया।

अभियुक्तगण द्वारा आरोपों को अस्वीकार करते हुए विचारण की मांग की गयी।

अभियोजन पक्ष की ओर से, अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को सिद्ध करने हेतु, मौखिक साक्ष्यस्वरूप, निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया–

क्रम सं०	**साक्षी सं०**	**नाम साक्षी**	**साक्षी का प्रकार**
1.	PW–1	महेश	वादी मुकदमा
2.	PW–2	मालती देवी	तथ्य का साक्षी

अभियोजन की ओर से, उपरोक्त के अतिरिक्त, अन्य कोई साक्षी परीक्षित नही कराया गया।

अभियोजन की ओर से निम्नलिखित,अभिलेखीय प्रपत्रों को प्रस्तुत कर, सिद्ध कराये गये–

Gyanendra Tripathi
Special Judge, SC/ST (PA) Act, Hardoi

क्रम सं०	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श	सिद्धकर्ता
1.	तहरीर वादी	प्रदर्श क–1	PW–1

आदेश, दिनांकित 02–07–2026 के माध्यम से, अभियुक्तगण का अभिकथन अन्तर्गत धारा–313 द०प्र०सं०, लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोग झूठा होने, वादी PW–1, द्वारा झूठी गवाही देने का कथन किया गया तथा PW–2 मालती देवी के साक्ष्य को झूठा होना कहा।

अतिरिक्त कथन में अभियोग रंजिशन चलने तथा झूठा व रंजिशन फंसाये जाने और स्वयं के निर्दोष होने का कथन किया गया। अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने से मना किया।

अभियुक्तगण की ओर से परीक्षित साक्षीगण की मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा निम्नवत हैं–

PW–1 वादी महेश द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के माध्यम से कथन किया गया है कि– मैं पासी जाति का हूं। हाजिर अदालत शौकत तथा अजमत व आसिफ अभियुक्तगण मुस्लिम जाति के है। घटना के पूर्व से हम लोग अभियुक्तगण उपरोक्त को तथा अभियुक्तगण हम लोगों को भली–भांति जानते पाहचानते है। मैं पढ़ा–लिखा नहीं हूं। मेरा एक खेत मेरे गांव के पूरब अभियुक्तगण उपरोक्त के मकान के पास में है। अभियुक्तगण ने मेरे खेत में घूरा आदि डाल दिया था तथा फसल बोते समय घूरा हटा लेने का वादा भी किया था। घटना आज से करीब दो साल डेढ़ महीना पहले की है, दिन के तीन बजे के लगभग समय था। मैंने अभियुक्तगण उपरोक्त को घूरा खेत से हटाने को कहा तो अभियुक्तगण उपरोक्त मुझे जाति के पासी कहकर मां बहन की गाली देते हुए कहे कि साले पसेटा न तो तुम्हारे खेत से घूरा हटायेगे और न ही खेत को जोतने देगे, गाली देने से मना करने पर उपरोक्त अभियुक्तगण मुझे साले पासी कहकर लात घूसो से मारने पीटने लगे। मेरे शोर पर मेरी पत्नी मालती देवी मुझे बचाने दौड़ी, मेरी पत्नी मालती देवी जब आई तो उपरोक्त अभियुक्तगण मेरी पत्नी को भी मारे पीटे। मेरे व मेरी पत्नी के शोर पर संजय, रामसेवक आदि लोग मौके पर पहुंच कर घटना को देखे और हम लोगों को बचाया तथा अभियुक्तगण को ललकारा। तब अभियुक्तगण हम लोगों को साले पासी कहकर मां बहन की गंदी–गंदी गाली देते हुए चले गये। घटना के बाद रिपोर्ट लिखाने हेतु मैं उसी दिन अपनी पत्नी सहित थाना कछौना रिपोर्ट लिखाने गया, परन्तु वहां पर न तो मेरी रिपोर्ट लिखी गई और न ही मेरी डॉक्टरी ही कराई गई। तब मैंने कप्तान साहब को रिपोर्ट लिखाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, परन्तु जब वहां से भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब घटना के करीब 13–14 दिन बाद न्यायालय में आकर एक टाइपिस्ट से घटना के संबंध में एक प्रार्थना पत्र लिखाकर तथा सुनकर उस पर अपना निशानी अंगूठा बनाकर वकील साहब के माध्यम से रिपोर्ट लिखाने हेतु न्यायालय में दिया था। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–3 अ/1 तथा 3 अ/2 को देखकर व सुनकर कहा कि नयायालय में दिया गया यही मेरा उपरोक्त प्रार्थना पत्र है जिस पर मेरा निशानी अंगूठा अंकित है। इस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। जाहिरा चोट न होने के कारण वाद में मैंने अपनी व अपनी पत्नी की डॉक्टरी नहीं कराया था। न्यायालय में रिपोर्ट लिखाने हेतु उपरोक्त दरख्वास्त दिये जाने के 2–3 दिन बाद मेरा इस घटना के संबंध में बयान हुआ था। गवाहान रामसेवक व संजय व मेरी पत्नी का भी बयान न्यायालय में हुआ था।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी PW-1 का कथन है कि- मेरा खेत जिसमें मुल्जिमान ने घूरा डाल लिया था, वह गांव के पूरब है। खेत के पश्चिम तरफ चकरोड़ है, यह चकरोड उत्तर से दक्षिण को जाता है। चकरोड के दूसरी तरफ रामपाल का खेत है। रामपाल के मिले बाबू का खेत है। सुरेश का कोई खेत वहां पर नहीं है। मेरे खेत के पूरब मेरे भाई का खेत है उसने लगे पूरब मे ग्राम समाज की खाली जमीन पड़ी है, मेरे खेत के उत्तर दुलारे का खेत है, मेरा खेत कुल तीन बीघे है जिसमें मेरे भाई प्रकाश भी शामिल है। चकरोड गांव के किनारे-किनारे है। चकरोड के मिले खेतो के बाद गांव शुरू हो जाता है। चकरोड के बाद खेतों के पास गांव में किसी का घूरा नहीं पड़ता है केवल मुल्जिमान का घूरा पड़ता है। काफी लोगों का घूरा इधर उधर पड़ता है। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान का घूरा अपने पूर्वजों के समय से अपने जमीन पर अपने घर के पास डालते है। यह कहना गलत है कि मेरे खेत में मुल्जिमान घूरा न डालते हो। मेरे खेत पश्चिम तरफ मुल्जिमान ने घूरा डाला था। मुल्जिमान ने मेरे एक महीने पहले खेत में घूरा डाला था। तब मैंने मुल्जिमान को मना किया तो उन्होंने कहा कि जब तुम कमल बोओगे तो मैं अपना घूरा हटा लूंगा। जाड़ा शुरू हो गया था, दिवाली के एक महीने पहले घूरा डाला था। मुल्जिमान ने जब घूरा डाला था तब मेरा खेत खाली था। मैंने मुल्जिमान से घूरा उठाने के लिए उनके घर जाकर नहीं कहा था। बल्कि खेत पर ही कहा था। खेत पर सभी मुल्जिमान अपने घर से निकल आये थे। मैं घूरा नहीं हटा रहा हूं और न खेत जोत रहा था। मैंने मुल्जिमान से स्वयं से कहा था कि अपना घूरा हटा लो मैं अपना खेत जोतूगा। तब मुल्जिमान मुझे गंदी-गंदी गाली देने लगे। खेत से मेरा घर 100 कदम दूर है। मेरे घर के अलावा वहां पर भरोसे व दुलारे के मकान है। बाकी मकान का पिछवाड़ा है। गाली गलौज व झगड़ा का शोर सुनकर भरोसे व दुलारे व उनके घर के लोग तथा आस पास के बहुत से लोग आ गये थे। मेरे गांव में हरिनाथ, वीरेन्द्र, विनोद रहते है, लेकिन 2-3 साल से गांव में नहीं रहते है, लेकिन महीने दो महीने में व शादी ब्याह पर हरिनाम, विनोद आ जाते है। हरिनाम के पिता भैयालाल व बाबा बूढे आदमी है। यह गांव पर ही रहते है। मेरे पिता रधनू व भैयालाल जो मेरे भाई है। फिर आज कहा पुरानी बात है मुझे पता नहीं है। मेरा ननिहाल जगधरपुर है, जरौआ गांव कहां पर है।, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि भैयालाल की ससुराल मेरे ननिहाल में है या नहीं। यह कहना गलत है कि मैं जानबूझकर भैयालाल व उसके पुत्रों से अपना रिश्ता छिपा रहा हूं। यह कहना गलत है कि रिश्तेदार छिपाने की वजह से मैं सही बात न बता रहा हूं। शौकत के पिता सूबेदार के भाई इशराज नहीं है। इशराज का लड़का नौशाद मेरे गांव में रहता है। इशराज के बाप का नाम मुझे नहीं मालूम। सुबेदार के पिता हुसैनी है। हुसैनी कितने भाई थे तथा उनके क्या नाम थे मुझे नहीं मालूम। यह कहना गलत है कि सुबेदार व इशराज उसके चचेरे भाई है। मुझे नहीं मालूम कि भैयालाल व उनके लड़को को धारा 309 भा०द०सं० के मुकदमे में या अन्य मुकदमे सजा हुई या नहीं। यह कहना गलत है कि मैंने भैयालाल व उनके लड़को की जमानत कराई हो। यह कहना भी गलत है कि मैं जानबूझकर सजा होने व जमानत कराने वाली बात छिपा रहा हूं। मुझे यह भी नहीं पता कि इशराज के लड़के नौशाद ने ही भैयालाल व उनके लड़को के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई हो। मेरा गवाह रामसेवक मेरे गांव का रहने वाला नहीं है। बल्कि गांव कोरा खुर्द का रहने वाला है तथा गवाह संजय भी उसी गांव का रहने वाला है। कोरा खुर्द गांव मेरे गांव से एक मिली दूर है। गवाह संजय मेरा साला है। गवाह रामसेवक, संजय के यहां आया था। यह कहना गलत है कि मेरे गांव से कोराखुर्द

5–6 किमी दूर है। यह कहना गलत है कि मेरे व मेरे भाई खेत के मिले जो ग्राम समाज की जमीन मैंने बताई है उसी पर मुल्जिमान घूरा डालते हो। यह कहना भी गलत है कि मुल्जिमान मेरे खेत में घूरा न डालते हो। यह कहना भी गलत है कि घूरे वाली ग्राम समाज की जमीन मैं अपने खेत में मिलाना चाहता हूं और इसी वजह से दबाव बनाने के लिए झूठा मुकदमा लिखा दिया हो। यह भी कहना गलत है कि घूरा हटाने की जो घटना मैं बता रहा हूं ऐसी कोई घटना न घटित हुई हो। यह भी कहना गलत है कि घूरा हटाने को लेकर कोई विवाद हुआ हो, न गाली गलौज और न जाति सूचक शब्द कहे गये हो। यह भी कहना गलत है कि मैंने इसीलिए अपनी और अपनी पत्नी की डॉक्टरी न कराई हो। मैंने अपने अधिवक्ता को उच्च अधिकारियों को दिए गये प्रार्थना पत्र की नकल दी थी। उन्होंने दाखिल नहीं की है तो उसकी कोई वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि कोई झगडा न हुआ हो इसलिए मैं थाने न गया हूं और न किसी उच्च अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया हो। यह भी कहना गलत है कि मैंने अपने अधिवक्ता को उच्चधिकारियों को दिए गये प्रार्थना पत्र की नकल न दी हो। यह कहना गलत है कि मैं झूठी गवाही दे रहा हूं।

PW–2 साक्षी मालती देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि– लगभग तीन साल पहले की बात है मैं अपने खेत पर कूड़ा डालने गई थी। खेत पर मुझे अजमत, शौकत तथा आसिफ मिले और मेरे साथ गाली–गलौज करने लगे और मुझे लात घूसों से मरा पीटा था। मुल्जिमान ने मुझे मां की गाली कहकर साली पसनिया गांव छोड़ जाओं की गाली दी थी। मारपीट पर मैंने चिल्लाने पर संजय व रामसेवक आ गये थे जिन्होंने मुझे बचाया था। तब अभियुक्त वहां से गाली देते हुए चले गये थे।

प्रतिपरीक्षा में PW–2 का कथन है कि– घटना होली के बाद चैत के महीने की है। मैं खेत पर तीन बजे गई थी। मैं न्यायालय में पिछली पेशी पर जो बयान दिया था। वह सही बयान दिया था। मेरा खेत गांव के पूरब तरफ है मुझे अपने खेत का नम्बर नहीं मालूम। खेत के पूरब तरफ घूरा पड़ा था। यह घूरा तीन साल से पड़ रहा था। जब मेरे खेत से मुल्जिमान ने कूड़ा डाल था। तब मैंने गांव के प्रधान व थाने पर शिकायत की थी, थाने मैं शिकायत कराने गई थी। मेरे खेत के पूरब चौकीदार दुलारे व रमेश, उत्तर में रामपाल का खेत है, पश्चिम मे मेरे देवर प्रकाश का खेत है, प्रकाश के खेत के मिले, गद्दी लोगों के खेत है जिनका मुझे नाम नहीं मालूम है। मेरे देवर व मेरा खेत एक ही है दोनों का आधा–आधा है। खेत के आस पास काफी दूर तक कोई आबादी नहीं केवल खेत ही खेत है। शौकत के दरवाजे पर निकलने का रास्ता है, इसी रास्ते पर जो मेरे खेत को जाता है मुझे मारा पीटा गया था। **झगड़ा घूरा डालने व हटाने पर हुआ था। बिरादरी व जातिवाद पर नहीं हुआ था।** गद्दियों का मोहल्ला व मेरा मोहल्ला अलग–अलग है। दोनों मोहल्ले के घूरे अलग–अलग पड़ते है। **मुझे अजमत ने मारा था। बाकी लोगों ने मुझे नहीं मारा था। अजमत ने मुझे लात घूसों से मारा था। मैं लात घूसों से मारने पर गिरा नहीं था। फिर कहा कि मैं गिर गई थी, मुंह पर घूसा व थप्पड़ मारे थे। उसके अलावा मेरी पसलियों में चोट लगी थी। संजय व रामसेवक मेरे गांव के नहीं है। दोनों मे से मेरा कोई सगा भाई नहीं है।** मेरा मायका गांव के कोरेखुर्द के थाना बेनीगंज में है। मेरे पिता का नाम श्रीपाल है। गवाह संजय के पिता का नाम भी श्रीपाल है। मेरे व संजय के पिता का नाम एक ही है और दोनों एक ही श्रीपाल है। गवाह रामसेवक के पिता का नाम भूरा है जो मेरे मायके का ही रहने वाला है। मेरे पिता श्रीपाल व भूरा चाचा भतीजे है। जब मेरा

मजिस्ट्रेट के यहां बयान हुआ था तो वहीं मुल्जिमान द्वारा दी गई गालियों का ब्यौरा बताया दिया था यदि मेरे बयान में यह बात नहीं लिखी हो तो मैं कोई वजह नहीं बता सकताी। फिर खुद कहा कि इस न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में मेरा कोई बयान इससे पूर्व नहीं हुआ। मैंने अपनी चोटों की कहीं किसी अस्पताल में डॉक्टरी नहीं कराई थी। घटना वाले दिन मैं थाने गई थी। थाने से 2-3 बजे पुलिस गांव आ गई थी। मैं दोपहर से पहले थाने के लिए गांव से पैदल गई थी। थाने तक पहुंचने में दो घटे लग गये थे। पुलिस मेरे साथ नहीं आई थी। बाद में 2-3 बजे तक जीप से आ गई। पुलिस ने मुल्जिमान को आकर डाटा व गाली गुप्ता किया। थाने से जबानी बताया था उस समय बीमार चल रही थी। मेरा गुर्दा खराब हो गया था जिसकी वजह से मैं चल फिर नहीं पाती थी। यह कहना गलत है कि मेरे खेत में न घूरा डाला गया हो और न खेत से कूडा उठाने पर विवाद हुआ हो। यह कहना भी गलत है कि मेरे खेत से मिले ग्राम समाज की जमीन अपने खेत में मिलाना चाह रही हूं और मना करने पर झूठा मुकदमा कचहरी आकर कानूनी राय मशविरा से दाखिल कर दिया हो। यह कहना भी गलत है कि मैं जैसी घटना बता रही हूं वैसी कोई घटना न घटित हुई हो और न जाति सूचक शब्दो से अपमानित किया हो और न गालियां दी हो।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की तर्को को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण के साक्ष्य से, आरोपित अपराध अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह से परे सिद्ध पाया जाता है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि प्राथमिकी में न तो वादी द्वारा उभयपक्ष की जाति का कोई उल्लेख किया गया है और न ही जातिसूचक शब्दों के प्रयोग का कोई आक्षेप अभियुक्तगण पर लगाया गया है। अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जिससे अभियोजन कथानक निराधार सिद्ध होता है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

तार्किक-विश्लेषण

अभियोजन प्रपत्र तथा परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य के आलोक में अन्तर्गत धारा 393 (1) (b) BNSS 2023 (46) [धारा- 354 (1)(b) Cr.P.C., 1973 (2/1974)] न्यायालय के मत में, प्रस्तुत प्रकरण का विनिश्चय निम्नलिखित अवधार्य बिन्दुओ के अधीन किया जाना, युक्तिसंगत होगा-

1. क्या अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य से, आरोपित अपराध सम्बंधी घटना में अभियुक्त की संलिप्तता सिद्ध होती है?

2. क्या अभियोजन पक्ष, आरोपित अपराध को, अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है ?

प्रथम अवधार्य बिन्दु का निस्तारण

प्रथम अवधार्य बिन्दु इस आशय का विनिर्धारित है कि **क्या अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य से, आरोपित अपराध सम्बंधी घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता सिद्ध होती है?**

अभियोजन प्रपत्रों व न्यायालय के समक्ष परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य के आलोक में, उपरोक्त अवधार्य बिन्दु का निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से तार्किक विश्लेषण युक्तिसंगत होगा–

1– प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्राथमिकी अतिविलम्बित है, जिसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जिससे अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में घटना दिनांक 25.11.2012 को सायं लगभग 03:00 बजे की अभिकथित है। इस सम्बन्ध में वादी/साक्षी PW–1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि *मेरा खेत जिसमें मुल्जिमान ने घूरा डाल लिया था, वह गांव के पूरब है। खेत के पश्चिम तरफ चकरोड़ है, यह चकरोड उत्तर से दक्षिण को जाता है। चकरोड के दूसरी तरफ रामपाल का खेत है। रामपाल के मिले बाबू का खेत है। सुरेश का कोई खेत वहां पर नहीं है। मेरे खेत के पूरब मेरे भाई का खेत है उसने लगे पूरब मे ग्राम समाज की खाली जमीन पड़ी है, मेरे खेत के उत्तर दुलारे का खेत है, मेरा खेत कुल तीन बीघे है जिसमें मेरे भाई प्रकाश भी शामिल है। चकरोड गांव के किनारे–किनारे है। चकरोड के मिले खेतो के बाद गांव शुरू हो जाता है। चकरोड के बाद खेतों के पास गांव में किसी का घूरा नहीं पड़ता है केवल मुल्जिमान का घूरा पड़ता है। काफी लोगों का घूरा इधर उधर पड़ता है। मेरे खेत पश्चिम तरफ मुल्जिमान ने घूरा डाला था। मुल्जिमान ने मेरे एक महीने पहले खेत में घूरा डाला था। तब मैंने मुल्जिमान को मना किया तो उन्होंने कहा कि जब तुम कमल बोओगे तो मैं अपना घूरा हटा लूंगा। जाड़ा शुरू हो गया था, दिवाली के एक महीने पहले घूरा डाला था। मुल्जिमान ने जब घूरा डाला था तब मेरा खेत खाली था। मैंने मुल्जिमान से घूरा उठाने के लिए उनके घर जाकर नहीं कहा था। बल्कि खेत पर ही कहा था। खेत पर सभी मुल्जिमान अपने घर से निकल आये थे। मैं घूरा नहीं हटा रहा हूं और न खेत जोत रहा था। मैंने मुल्जिमान से स्वयं से कहा था कि अपना घूरा हटा लो मैं अपना खेत जोतूगा। तब मुल्जिमान मुझे गंदी–गंदी गाली देने लगे। खेत से मेरा घर 100 कदम दूर है। मेरे घर के अलावा वहां पर भरोसे व दुलारे के मकान है। बाकी मकान का पिछवाड़ा है। गाली गलौज व झगड़ा का शोर सुनकर भरोसे व दुलारे व उनके घर के लोग तथा आस पास के बहुत से लोग आ गये थे। मेरे गांव में हरिनाथ, वीरेन्द्र, विनोद रहते है, लेकिन 2–3 साल से गांव में नहीं रहते है, लेकिन महीने दो महीने में व शादी ब्याह पर हरिनाम, विनोद आ जाते है। मेरे पिता रधनू व भैयालाल जो मेरे भाई है। फिर आज कहा पुरानी बात है मुझे पता नहीं है। मेरा ननिहाल जगधरपुर है, जरौआ गांव कहां पर है, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि भैयालाल की ससुराल मेरे ननिहाल में है या नहीं। यह कहना गलत है कि मैं जानबूझकर भैयालाल व उसके पुत्रों से अपना रिश्ता छिपा रहा हूं। यह कहना गलत है कि रिश्तेदार छिपाने की वजह से मैं सही बात न बता रहा हूं। शौकत के पिता सूबेदार के भाई इशराज नहीं है। इशराज का लड़का नौशाद मेरे गांव में रहता है। इशराज के बाप का नाम मुझे नहीं मालूम। सुबेदार के पिता हुसैनी है। हुसैनी कितने भाई थे तथा उनके क्या नाम थे मुझे नहीं मालूम। मुझे यह भी नहीं पता कि इशराज के लड़के नौशाद ने ही भैयालाल व उनके लड़को के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई हो। मेरा गवाह रामसेवक मेरे गांव का रहने वाला नहीं है। बल्कि गांव कोरा खुर्द का रहने वाला है तथा गवाह संजय भी उसी गांव का रहने वाला है। कोरा खुर्द गांव मेरे गांव से एक मिली दूर है। गवाह संजय मेरा साला है। गवाह रामसेवक, संजय के यहां आया था। यह कहना गलत है कि मेरे गांव से कोराखुर्द 5–6 किमी दूर है। यह कहना गलत है कि मेरे व मेरे भाई खेत के मिले जो ग्राम समाज की जमीन मैंने बताई है उसी पर मुल्जिमान घूरा डालते हो। यह कहना भी गलत है कि मुल्जिमान मेरे खेत में घूरा न डालते हो। यह कहना भी गलत है कि घूरे वाली ग्राम समाज की जमीन मैं अपने खेत में मिलाना चाहता हूं और इसी वजह से दबाव बनाने के लिए झूठा मुकदमा लिखा दिया हो। यह भी कहना गलत है कि घूरा हटाने की जो घटना मैं बता रहा हूं ऐसी कोई घटना न घटित हुई हो।*

इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी/साक्षी PW–1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में एक माह से अधिक समय से विलम्बित प्राथमिकी के सम्बन्ध में मात्र गोल–मोल कथन किये गये हैं, जो किसी भी दृष्टि से संतोषजनक नहीं पाये जाते हैं, किन्तु न्यायालय के मत में मात्र विलम्बित प्राथमिकी के आधार पर अभियुक्तगण की निर्दोषिता की उपधारणा विधि संगत नही है।

2– प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि न तो वादी द्वारा उभयपक्ष की जाति का कोई उल्लेख किया गया है और न ही जातिसूचक शब्दों के प्रयोग का कोई आक्षेप अभियुक्तगण पर लगाया गया है। अतः आरोपित अपराध अभियुक्तगण के विरूद्ध गठित ही नहीं होता है।

तहरीर/प्रदर्श क–1 इस प्रकार है–*दिनांक 25.11.2013 को समय तीन बजे शाम अभियोगी ने विपक्षीगण को अपना घूरा आदि जो खेत से हटाने को कहा तो सभी विपक्षीगण ने अभियोगी को जाति सूचक गालियां देकर कि साले पसेटा खेत से घूरा नहीं हटायेंगे तथा खेत को जोतने बोने नहीं देंगे। विरोध करने व मना करने पर अभियोगी को गंदी–गंदी जाति सूचक गालियां देकर लात घूसों से मारने लगे। अभियोगी के शोर पर अभियोगी की पत्नी मालती देवी जब बचाने आई तो उसको भी मारापीटा। हम दोनों के शोर पर संजय व रामसेवक आदि लोगों ने मारपीट करते व जाति सूचक गालियां देते देखा ललकारा व बचाया। "*

उपरोक्त तहरीर में किसी भी स्थान पर वादी अथवा अभियुक्तगण की जाति का कोई उल्लेख नहीं है और न ही जातिसूचक शब्दों के प्रयोग का कोई उल्लेख है। अतः प्रतिरक्षा पक्ष के उपरोक्त तर्क में बल पाया जाता है। अभियुक्तगण के विरूद्ध 3(1)(X) SC/ST (P.A.) Act गठित होना नही पाया जाता है।

3– प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्राथमिकी/तहरीर में गांव के संजय द्वारा बचाने का कथन किया गया है, किन्तु उक्त व्यक्ति को परीक्षित नहीं कराया गया है। इससे अभियोजन कथानक अपुष्ट रह जाता है।

तहरीर/प्रदर्श क–1में इस आशय का उल्लेख है कि *मेरे शोरगुल पर, संजय व रामसेवक ने दौड़कर, आकर, मुझे बचाया।*

वादी/साक्षी PW–1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में उपरोक्त कथन की पुनरावृत्ति की गयी है, जबकि साक्षी PW–2 ने इस सम्बन्ध में अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि **झगड़ा घूरा डालने व हटाने पर हुआ था। बिरादरी व जातिवाद पर नहीं हुआ था। गद्दियों का मोहल्ला व मेरा मोहल्ला अलग–अलग है। दोनों मोहल्ले के घूरे अलग–अलग पड़ते है। अभियुक्तगण ने मारपीट की थी तथा गाली गलौज किया था। संजय व रामसेवक मेरे गांव के नहीं है। दोनों मे से मेरा कोई सगा भाई नहीं है।** अतः प्रस्तुत प्रकरण में अतर्गत धारा 3(1)(10) SC/St (PA) Act का आरोपित अपराध प्रतीत नहीं होता है।

अभियोजन की ओर से न तो उपरोक्त संजय को परीक्षित कराया गया। साक्षी के उपरोक्त बिन्दु पर न्यायालय के समक्ष किये गये कथन में इंगित उपरोक्त विरोधाभास, न्यायालय के मत में सारभूत अन्तर्विरोध की श्रेणी मे आता है। इससे अभियोजन कथानक वास्तव में संदिग्ध हो जाता है।

4– प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वादी द्वारा प्राथमिकी व अपनी मुख्य परीक्षा में मात्र मारपीट करने व गाली देने सम्बन्धी सामान्य कथन किये गये हैं, विशिष्ट जाति सूचक शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः धारा 3(1)(10) SC/ST (PA) Act के अपराध अभियुक्तगण के विरूद्ध गठित नहीं पाये जाते हैं।

यह सुस्थापित है कि धारा 323 व 504 भा०द०सं० के अपराध के गठन हेतु विशेषतः उच्चारित विशिष्ट शब्दों व मारपीट का उल्लेख विधितः अपेक्षित होता है, जिसके अभाव में उक्त धारा के अधीन आपराधिक दायित्व का निर्धारण विधि संगत होता है। प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त सम्बन्ध में

सामान्य कथन किये गये हैं। अतः प्रतिरक्षा पक्ष के तर्क में बल पाया जाता है। न्यायालय के मत में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 3(1)(10) SC/ST (P.A.) Act सिद्ध नहीं पाये जाते है।

इस प्रकार उपरोक्त बिन्दुवार विश्लेषण के आलोक में, अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य के प्रकाश में आरोपित अपराध अं० धारा 323, 504 भा०द०सं० अभियुक्तगण के विरूद्ध सिद्ध पायी जाती है, जबकि आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 3(1)(10) SC/ST (P.A.) Act अभियुक्तगण के विरूद्ध सिद्ध नहीं पाया जाता है।

द्वितीय अवधार्य बिन्दु का निस्तारण

द्वितीय अवधार्य बिन्दु इस आशय का विनिर्धारित है कि **क्या अभियोजन पक्ष, आरोपित अपराध को, अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है ?**

प्रथम अवधार्य बिन्दु के अधीन किये गये बिन्दुवार विश्लेषण के आलोक में, अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य के आधार पर, अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 504 भा०द०सं० सिद्ध पाया गया। शेष धाराएं सिद्ध नहीं पायी गयी।

इस प्रकार, उपरोक्त के अनुसार, अभियोजन पक्ष आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 504 भा०द०सं० को अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह से परे सिद्ध करने में सफल पाया जाता है।

आदेश

अभियुक्तगण **शौकत, अजमत व आशिफ** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **323, 504 भा०दं०सं० दोषसिद्ध** किया जाता है, जबकि उपरोक्त अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अं०धारा 3(1)(10) **SC/ST (P.A.) Act** से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके बंधपत्र व प्रतिभूपत्र निरस्त किये जाते हैं, प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिया जाता है। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवायी हेतु मध्यान्तर उपरान्त प्रस्तुत हो।

दिनांकः 26-08-2026

(ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश, SC/ST (P.A.) Act, हरदोई
ID-U.P.1574

मध्यान्तर उपरान्त

पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा दोषसिद्ध के कृत्य को सामाजिक अपराध करार देते हुए अधिकतम दण्ड से दण्डित करने की प्रार्थना की गयी।

प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि दोषसिद्ध का यह प्रथम अपराध है, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उनका परिवार आजीविका हेतु उन पर आश्रित है। अतः उन्हें मात्र अर्थदण्ड से दण्डित करने की प्रार्थना की गयी है।

उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

दोषसिद्ध का कोई आपराधिक इतिहास नही है। उनका यह प्रथम अपराध है। ऐसी स्थिति में दोषसिद्ध को मात्र अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना विधि संगत होगा।

आदेश

प्रत्येक दोषसिद्ध **शौकत, अजमत व आशिफ** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **323 भा०दं०सं०** हेतु **मु० 500-500/-** (पांच-पांच सौ रूपये मात्र) तथा धारा **504 भा०दं०सं०** हेतु **मु० 500-500/-** (पांच-पांच सौ रूपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड का भुगतान न किये जाने की स्थिति में दोषसिद्ध एक माह के साधारण कारावास का भागी होगें।

दिनांकः 26-08-2026

(ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश, SC/ST (P.A.) Act, हरदोई
ID-U.P.1574

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 26-08-2026

(ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश, SC/ST (P.A.) Act, हरदोई
ID-U.P.1574